



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

बी. एस. मिरगे / B. S. Mirge

जन संपर्क एवं लोक सूचना अधिकारी
P.R.O. & Public Information Officer

27/2023-24/2145/361

दिनांक : 26/10/2023

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 23.09.2023 (कार्यालय में दिनांक 25.09.2023 को प्राप्त) का संदर्भ ग्रहण करें। संबंधित इकाईयों से प्राप्त सूचना अनुसार वांछित जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	मांगी गई सूचना	प्रदान की गई सूचना
	This is to inform you that as per the advertisement no. MGAHV/03/2023(03), i have submitted my application form No. BMR/25-02-2023 11:48:03 for the post of professor (Category -SC) in the department of Language Technology and Language Engineer request you to provide a copy/document of -	
1.	Minutes of Meeting for the cancellation of the said post and cancellation of my candidature.	संबंधित जानकारी कुल 01 पृष्ठों में उपलब्ध है (संलग्न कुल पृष्ठ 01)
2.	Summary of points earned for Educational Qualifications and Research Score as per the UGC guidelines evaluated by the expert committee members.	

अगर आप प्रदत्त सूचना के संदर्भ में अपील करना चाहते हैं तो अपीलीय अधिकारी को इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर अपील कर सकते हैं -

प्रथम अपीलीय अधिकारी
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,
पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001, महाराष्ट्र
फोन नं. 07152-230902, फैक्स - 07152-247602

भवदीय


(बी. एस. मिरगे)